क्षेत्रीय दलों के लिए 2019- राष्ट्रीय सार्वजनिक कार्यसूची

(चेन्नई में 3 जून 2017 को चर्चा के लिए प्रारूप)

दृष्टिगोचर	**1. लोगों के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए सेक्युलर नीतियाँ।** **2. समानता प्रदान करने के लिए - आय - शिक्षा- स्वास्थ्य।** **3. कृषि को आर्थिक विकास केंद्र के पास लाने के लिए।** **4. न्यायिक सुधार- समयबद्ध-सामान्य आदमी के लिए पहुंच।** **5. प्रशासनिक सुधार-पारदर्शी- उत्तरदायी।**
मिशन	**1- संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष संसद-** A- **कृषि और सिंचाई समवर्ती विषयों के रूप में** B- **छोटे राज्य** C- **क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट** D- **दक्षिण भारत में शीतकालीन संसद** E- **प्रमुख मुद्दों पर स्थायी जनमत संग्रह प्रणाली** **2- अलग-अलग कृषि बजट - उप प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत - कृषि-सिंचाई-वाणिज्य-उर्वरक-नाबार्ड।** **3-स्थानीय संस्थानों के सशक्तीकरण - पंचायत- नगरपालिका।** **4-सभी आयु के लिए सामाजिक सुरक्षा 60-पेंशन- न्यूनतम- योगदायी।** **5-टेक्स चोरी- भ्रष्टाचार-व्यभिचार के लिए गंभीर दंड ।**

चर्चा के लिए कार्यसूची -(मुद्दों पर पृष्ठभूमि नोट)

क्रमांक	विषय	विवरण	चर्चा के दौरान आवश्यक परिवर्तन के लिए टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय राजनीतिक - आर्थिक स्थिति **1950-1971**का दशक	**1. 1950-1971-** कांग्रेस-नेहरू- समाजवादी अवधारणा- कृषि पर फोकस - सिंचाई पर निवेश- हाइब्रिड □ीज- उर्वरक-मज□ूत राज्य के नेता- पावर का विकेंद्रीकरण - पंचायत राज । **2.** प्रति□द्व - राजनीतिक - प्रशासनिक - न्यायिक नेतृत्व । **3.** खाद्य आत्मनिर्भरता - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग । **4.** चीनी कल्पना और परिणाम ।	
2.	राष्ट्रीय राजनीतिक- आर्थिक स्थिति **1971-1990**	**1. 1971-1990-** कांग्रेस-इंदिरा गांधी-आपातकाल – **अन्तर्गुट** राजनीति **2. जय** प्रकाश आंदोलन- जनता पार्टी- असफलता **3.** क्षेत्रीय दलों: - प्रधानमंत्री - वी.पी. सिंह, देवेगौडा- चंद्रशेखर-आई.के.गुजराल **4. 1971-90** कृषि की उपेक्षा- कृषि उत्पादकता में स्थिरता- किसानों के ऋण दास-□ेरोजगारी **5.** वोट □ैंक राजनीति-कांग्रेस का क्षय **6.** क्षेत्रीय नेताओं का उदय- ग्रामीण अशांति- नक्सलवाद **7.** आर्थिक आपातकाल	

3.	राष्ट्रीय राजनीतिक / आर्थिक स्थिति **1991-2016-** उदारीकरण - वैश्वीकरण	**1. 1991-2016-** उदारीकरण- वैश्वीकरण लाभ: - आर्थिक विकास - सेवा-औद्योगिक- बुनियादी ढांचा- सड़क-निजी क्षेत्र - आईटी- मे□कल- होटल- संचार - पर्यटन-शिक्षा -सेवाएं- **300** मिलियन मध्यवर्ती कक्षा का विकास। **2.** असफलताओं - भारी आर्थिक असमानताएं - कृषि क्षेत्र में असफलता- असंगठित क्षेत्र- कृषि में कोई नई तकनीक नहीं- कम निवेश- जारी किए गए बाजार नियंत्रण- कम कीमतें-उच्च प्रयोगशाला- कोई जोखिम ख़त्म नहीं- कोई फसल बीमा - विस्तार की विफलता- सार्वजनिक सेवाओं की विफलता - शिक्षा- स्वास्थ्य। **3.** शक्ति, संसाधनों और नीतियों के केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय असंतुलन का विकास। **4.** राजनीतिक: - राज्यों में भाजपा का उभरना - गुजरात- एमपी- राजस्थान - छत्तीसगढ़। **5.** कांग्रेस का निरंतर विघटन **6.** एकीकृत नेतृत्व और सामान्य नीतियों की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों की विफलता। **7. 1991** में आर्थिक मजबूती के कारण उदारीकरण शुरू हुआ, काले धन को संदिग्ध साधनों के माध्यम से घर लाने की अनुमति दी गई - नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की उपलब्धि । **8.** कीमतों के नियंत्रण और सनकी निर्यात और आयात नीतियों ने कृषि क्षेत्र की विफलता का नेतृत्व किया। **9.** कृषि सुधार लागू नहीं किए गए- शरद जोशी, □ॉ. एम.एस. स्वामिनाथन, □ॉ. अलघ, □ॉ. सेन गुप्ता, सुरेश प्रभु रिपोर्टें लागू नहीं हुईं। **10.** राजनीतिकरण-जीएमओ-नदी जल-आयात - किसानों को विभाजित करना।	

4.	क्षेत्रीय राजनीतिक दलों **1978-2017**	**1.** कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर क्षेत्रीय दलों के विकास के लिए घास के मूल नेताओं के विकास क□दबदबाया । **2. 1970** के बाद से, इंदिरा □ांधी ने सत्ता का प्रभारी हा□ने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षेत्रीय नेता उभरा नहीं था। सफल मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह, हुड्डा, राजा शेखर रेड्डी और अन्य ल□ों ने हमेशा काउटेरी के लिए सहायक बनाये। **3.** पिछले **40** वर्षों में, कांग्रेस 1 राष्ट्रीय किसान के नेता क□भी प्रा□जेक्ट नहीं कर सका। **2004** से **2014** तक एआईसीसी के पास का□ई किसान कार्यसूची या पूर्णकालिक महासचिव नहीं है। **4.** भाजपा की स्थिति अल□ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्देशित राज्य के नेताओं में कृषि नीति नहीं है। मा□दी ने **2014** के चुनावों में उच्च उम्मीदें दी लेकिन **2017** तक किसानों ने पूरी तरह से मा□हभं□ कर दिया। **5.** क्षेत्रीय दलों: - क्षेत्रीय दलों के तहत ग्रामीण ल□ों / किसानों की आकांक्षाएं अधिक स्पष्ट ह□□ ई हैं। **6. 1964-1980-**एआईएडीएमके-द्रमुक- चरण सिंह, जया प्रकाश नारायण, देवी लाल-अकाली दल-नवीन पटनायक **7. 1980-1996**मजबूत-ला□क्रप्रिय-क्षेत्रीय नेताओं-करुणानिधि, जयललिता-देवे□ौड़ा-लालू प्रसाद यादव-नीतीश कुमार-मुलायम सिंह यादव-मायावती -एन.आर.रामाराव-ममता बनर्जी- केरल कांग्रेस - चौतला -आसमान □णतंत्र । उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद, ज□न मा□न रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, शिवसेना, सिबू सा□रेन-आदिवासी नेता **क्षेत्रीय दलों स्थानीय आकांक्षा का चयन के प्रतीक हैं ।**	

5.	➢ क्षेत्रीय दलों ➢ सकारात्मक ➢ नीतियाँ ➢ खामियों	**1)** क्षेत्रीय दलों ने अभिनव कार्यक्रमों को अपनाया- **2/** / -कैग-गेहूं- चावल-मुक्त विद्युत-लड़कियों-अम्मा कैंटीन- आरोगियों श्री-छात्रवृत्ति । **2)** हल करने में विफलता: - दैनिक समस्याएं बाज़ार (आदथियां) शोषण-गुणवत्ता विद्युत -विस्तार सेवाएं व्यथित- नकली कीटनाशक-नहीं सुलझता । **3)** सेवाओं की विफलता: - शिक्षा - स्वास्थ्य - पशुपालन - सिंचाई-विद्युत-सहकारी बैंक । **4)** अन्तर्निहित कार्यान्वयन: - खरीदना- दृष्टि बाधक - हॉस्टल रखरखाव - छात्रवृत्ति - आईएसआई-एमआरपी-कार्यान्वयन 5) दोष प्रोग्रामग्रस्त कार्यक्रम: **A-** राज्य: - प्रशासन और वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करना। **B-** राष्ट्रीय: राष्ट्रीय मुद्दों पर एक आम रणनीति तैयार करें-विदेशी-ट्रेड-औद्योगिक-निर्यात 6) राज्य विशिष्ट (स्थानीय प्राथमिकता) क्षेत्रीय पार्टी नीतियां- मुद्दे पर सहज प्रतिक्रियाएं-दीर्घकालिक कार्यक्रम - घोषणा पत्र - सदस्यता **7)** क्षेत्रीय नेताओं के लिए सावधानी: -संचार, मीडिया, आर्थिक विकास, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व का प्रदर्शन नियमित रूप से और मुद्दों पर मूल्यांकन किया जाता है। 8) नीतियों, कार्यक्रमों और संविधानों के साथ किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में आने वाले वर्षों में निरंतरता और राष्ट्रीय पार्टी का विरोध होगा। 9) तमिलनाडु / बिहार / आंध्र प्रदेश / तेलंगाना में प्रमाणित होने के कारण इन दिशानिर्देशों को अपनाने से क्षेत्रीय पार्टी में उप-विभाजन होगा ।	

		*** नोट: **1.** लोगों को प्रेरित और एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी या जया प्रकाश नारायण जैसे कोई मजबूत नेता नहीं है । **2.** राष्ट्रवाद, समाजवाद या साम्यवाद का एक मजबूत आंदोलन है जो भारत के लोगों को एकजुट कर सकता है । **3.** वहां कोई भी दिखाई देने वाला आम दुश्मन भी नहीं है, जिनके खिलाफ लोग रैली रैली करेंगे । **4.** बहु-सभ्य भारतीय समाज में फंडामेंटलिज्म या धार्मिक फ़ैशनवाद प्रभावी नहीं होगा । **5.** ऐसा इसलिए है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व अगले कुछ दशकों के लिए भारत में जारी रह सकता है ।	
6.	सामान्य नीतियों / एजेंडे के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों का एकीकरण	**1.** क्षेत्रीयवाद के पास कई फायदे हैं क्योंकि नेताओं का स्थानीय लोगों के साथ उच्च संपर्क और दैनिक आधार पर समस्याओं की समझ है। **2.** वर्तमान भारतीयों का राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अनुपलब्धता स्वीकार्य नहीं होगी। हमें यह जानना चाहिए कि राजमर्रा के आधार पर अपने ब्लैकबेरी पर अपने **10,000** समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति ओबामा को बुलाया जा सकता है। **3.** हमारे भारतीयों में से कितने श्रीमती सोनिया गांधी से **10** जनपथ, नई दिल्ली में मिल सकते हैं ? तो भी, हम नहीं जानते कि दिल्ली या नागपुर में भाजपा से कौन मुलाकात करें। **4.** प्रत्येक क्षेत्रीय नेता अपने घटकों को एक दिन में **24** घंटे और साल में **365** दिन उपलब्ध कराता है। यह नेताओं की यह आसान पहुंच और समस्याएं हल करने की क्षमता है, जो आने वाले दशकों से क्षेत्रीय दलों के शासन को बनाए रखेगी।	

		5. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के मामलों के प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक छोटी और दीर्घकालिक नीतियों और सर्वसम्मति विकसित करना है। कांग्रेस और बीजेपी **1950-2017** द्वारा अपनाई ई सभी मौजूदा नीतियों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। **6.** कांग्रेस और भाजपा -**1-** सीडीआई द्वारा संस्थानों का दुरुपयोग, **2-**आयकर, **3-**डीआरआई । **7.** अपवाद: - भारत के सर्वोच्च न्यायालय- चुनाव आयोग । *** नोट: बिजली और धन के नियंत्रण के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थानों की स्थापना: - लोकायुक्त - केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नियंत्रक, भारत के महालेखा परीक्षक, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय नियामक, स्टॉक मार्केट और कमांडर और चीफ, आयकर विभाग के प्रमुखों का भी चयन आवश्यक है।	
7.	सफलतापूर्वक काम करने के लिए क्षेत्रीय दलों रणनीतियाँ	**1.** नीतियों पर सहमति: - स्थायी राष्ट्रीय और राज्य स्तर समितियां । **2.** विशेष संसद सत्र- नीतियों में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन आर्थिक विकास जो **70%** ग्रामीण लोगों / किसानों को नजरअंदाज कर दिया है, वह स्थायी नहीं होगा। कांग्रेस और भाजपा द्वारा अपनाई गई गलत उदारीकरण नीतियों के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को नजरिया पर चुप नहीं **रहां** जा सकता । **3.** **1960** के रूप में संगठित क्षेत्रों और असंगठित किसानों के बीच असमानताओं को कम करना । **2011** तक **1:2** था।, **अब** यह **9:1** है । धन और गलत नीतियों के अनुचित वितरण की वजह से ये विशाल आर्थिक असमानता (असंगठित किसानों के बीच) उत्पन्न हुई हैं । **4.** नवीन विदेशी नीतियां ।	

8.	**प्राथमिकता -छोटी मूल स्तर से-क्षेत्रीय दलों पर एकीकरण के लिए सामाजिक कार्यक्रम। 2019-2024**	**1.** क्षेत्रीय दलों, जिन्होंने राम मनाहर लाहिया, जयप्रकाश नारायण, रामास्वामी नायक, ज्यातिरावपुले, काशीराम और अन्य लाोगों से अपनी प्रेरणा ली है, ने आर्थिक सशक्तीकरण और गरीबों के सामाजिक एकीकरण के लिए वकालत की है। इसलिए, क्षेत्रीय दलों का सामाजिक क्रांति के लिए काम करने की एक पवित्र जिम्मेदारी है, जिसमें आर्थिक इक्विटी, सामाजिक पहचान और गरीबों के सशक्तिकरण शामिल हाना चाहिए। **2.** शराब के बारे में व्यापक और निरंतर जागरूकता करना। **3.** एक लड़की बाल परिवार के आदर्श और बच्चे का गाद लेने के लिए प्राात्साहन करना। **4.** अंतर जाति विवाह का प्राात्साहित करें। **5.** हर बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा करें।	
9.	कृषि नीति में परिवर्तन	**1.** राष्ट्रीय आयाग की रिपार्ट - (ा। एम.एस. स्वामीनाथन) पहली संसद सत्र में समयबद्ध कार्य याजना तैयार करना। **2.** सी.ए.सी.पी. का एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बनाकर उत्पादन की यथार्थवादी लागत तय करना। **3.** सभी किसानों के लिए वृद्धावस्था की सुरक्षा: **60** वर्षों के बाद की स्थिति। **4.** खेती की कुल मशीनीकरण- महिलाओं और पुरुष-मशीनरी के लिए शारीरिक व्याकुलता का बढ़ाकर **4%** ब्याज दर पर **30%** सब्सिी पर लाने के लिए- युवाओं का खेती में लाने के लिए- समय-समय पर गतिविधियों का पूरा करना- ट्रैक्टर के स्वामित्व की सामाजिक पहचान **बनाना**। **5.** प्राकृतिक आपदाओं के लिए किसानों की पूर्ण क्षतिपूर्ति के बैंक खाते में रिमाट सेंसिंग टेक्नालॉजी और कैश ट्रांसफर का उपयाग करके **30** दिनों के भीतर बीमा का भुगतान करना।	

		6. कमोडिटी बोर्डों के माध्यम से किसान संघों को मजबूत करना - सीमित क्षेत्र के लिए- उत्पादन-प्रसंस्करण - निर्यात- गुणवत्ता-अनुसंधान **7.** चाय, कॉफी रबड़, तंबाकू, मत्स्य पालन के मौजूदा कमो▯टी बो▯ में किसान की सदस्यता होगी। निदेशक मं▯ल के लिए चुनाव होंगे और राष्ट्रपति को **5** साल की अवधि के लिए चुना जाएगा। एक पेशेवर (बाहरी सहित) को बो▯ के पर्यवेक्षण के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में काम करने के लिए चुना जाएगा। **8.** सभी किसानों (निजी क्षेत्र सहित) - क्रॉप बीमा बैंक - सहकारी-स्व-सहायता समूह-प्रसंस्करण उद्योग-▯यरी-शुगर -जुट मिल्स- कमो▯टी बो▯ और इं▯स्ट्रीज को क्रे▯ट-फसल बीमा-विस्तार, मशीनीकरण सेवाएं लेने के लिए सीएसआर-जिम्मेदारी **9.** कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ने से उत्पादन को **40%** से **60%** श्रम साझाकरण लागत कम करें। **10.** जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत कृषि योजना- जिला / प्रशिद / पंचायत- योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया, पंचायत के अधीन हो। अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी को 5 वर्ष की अवधि के लिए पेशेवर के साथ अनुभव (कृषि, विपणन विशेषज्ञों-पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन-बागवानी-इंजीनियर्स) से चुना जाएगा। **11.** सहकारी समितियों के किसान प्रबंधन- जल उपयोगकर्ता संगठन- बाज़ार गज-**5** साल के लिए चुनाव- **2** पदों तक सीमित-पेशेवरों के बीच मुख्य कार्यकारी का चयन हो। **12.** सभी नाशपाती के लिए जोखिम मितव्ययिता फं▯ -भोजन-फल-मछली-मांस-अं▯-दूध- अध्यक्ष मं▯ल के साथ स्थायी समिति के लिए और समय-समय पर फ़ैसला लेने के लिए कृषि / बागवानी अधिकारियों के साथ-भारत सरकार / राज्य सरकारों / निधियों द्वारा स्थानीय बाजार समितियों द्वारा एकत्रित न्यूनतम नियत राशि उपलब्ध करायी जाएगी ।	

		13. दलदलों के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों / जंगलों में किसानों का सब्सिडीकृत जूते और रबड़ दस्ताने- इलेक्ट्रिक शॉक, सर्प काटने, बिच्छू काटने, रात / धूप पैर आदि में दुर्घटनाएं होने के कारण हर साल हजारों किसान मरते हैं। **14.** सभी के लिए सब्सिडी **2/3/4** व्हीलर्स (कैरवन्स) - नामड्स -तालिल - शेफर्ड-मछुआरे- मौसम से बचाव के लिए -प्रस्ताव संचार- अस्पतालों में जा रहे हैं। **15.** खुले बाजार के बराबर भूमि का मूल्य बढ़ाएं। पंजीकरण शुल्क कम करें।	
10.	**कृषि सुधार**	**1. कृषि क्षेत्र में अलग कृषि बजट– कृषि मंत्रालय– सिंचाई – उर्वरक – सहकारी पशुपालन – मत्स्य पालन–नाबार्ड–पंचायत राज–ग्रामीण विकास पर केन्द्रित हो।** **2. कृषि मंत्री की स्थिति: – उप प्रधान मंत्री– अलग मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठकों से ऊपर के मंत्रालयों पर निर्णय लेना।** **3. भारतीय कृषि परिषद को स्वायत्त बनाया जाना चाहिए और इसे परमाणु ऊर्जा आयोग और इसरो के बराबर समान दर्जा दिया जाएगा और यह बाहरी लोगों सहित वैज्ञानिकों से चयनित सदस्य का नेतृत्व करेंगे। अखिल भारतीय कृषि / पशु चिकित्सा / मत्स्य पालन सेवाएं मंत्रालयों / विभागीय प्रमुखों / कमोडिटी बोर्डों के तकनीकी बैक ग्राउंड के साथ सचिवों / निदेशकों का चयन करना।** **4. सभी सिंचाई परियोजनाओं में सभी –जीओआई एक बार निवेश करने के लिए सिंचाई प्रदान करना। 60% खेती बारिश के कारण होती है। हर किसान को न्यूनतम सिंचाई सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन प्रदान नहीं कर सकतीं। भारत सरकार को एक समयबद्ध तरीके से सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई प्राधिकरण स्थापित करना होगा।**	

		5. जल युद्धों की रोकथाम: – नदी–घाटी प्राधिकरण के लिए जल–कृषि के न्यायसंगत वितरण के लिए– ड्रिंकिंग –इंडस्ट्री– अंतरराज्यीय विवादों को कम करने और पानी के राजनैतिककरण को कम करना। 6. कच्चे माल की आपूर्ति प्रसंस्करण उद्योगों के साथ पंजीकृत होने वाले किसानों – चीनी, दूध, तेलों के बीज, जूट, वनस्पति फल आदि। उद्योग में निदेशकों के रूप में बनने के लिए किसानों से चुने गए सदस्य। सदस्यों को लाभांश / बोनस के रूप में उद्योग का लाभ दिया जाना चाहिए 7. श्रम बोर्ड के समान एक राष्ट्रीय / राज्य किसान बोर्ड होगा। उद्योगों और उनके संघ में एक सदस्य के रूप में किसानों को किसानों द्वारा पंजीकृत किया जाएगा बोर्ड सरकार द्वारा किसानों और उद्योगों के बीच चर्चा वार्ता, विस्मरण, पहचान किसानों के संघों के माध्यम से किया जाएगा। 8. चीनी क्षेत्र सुधारों पर डॉ। रंगनाथन समितियों की रिपोर्ट लागू करना। 9. कृषि के नेता और वैज्ञानिकों के लिए भारत रतन – चिरण सिंह–देवियाल–आचरा एनजीआरजी–शारदा जोशी– डॉ. कुरियन – डॉ. एम.एस. श्रीमाननाथन प्रो नारायण स्वामी नायडू– कंदसामी नायडू। 10. जंगली जानवरों को मारने के लिए सशक्त ग्राम सभा- जंगली बोअर-माकर, नील गाय और अन्य लाखों किसानों के लिए भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मौजूदा वन्य पशु अधिनियम किसानों को स्वीकार्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि स्थानीय पंचायत अधिकारियों के साथ परामर्श करके उनको नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए इसे बदलने की आवश्यकता है।	

11.	व्यक्तिगत किसान गारंटी- मौलिक समर्थन	**1.** हर किसान परिवार को स्थायी आधार पर 3 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा दिया जाएगा। **2.** प्रत्येक किसान के परिवार को उच्च शिक्षा के लिए **1%** ब्याज पर **3-5** लाख रूपए (कृषि, पशु चिकित्सा, एमबीए, विपणन, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी इत्यादि) शैक्षणिक ऋण प्रदान किए जाएंगे। **3.** हर किसान परिवार (पति और पत्नी) को **3,000/-** रूपए **60** वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह पेंशन दी जाएगी। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद भी जारी रहेंगी। **4.** आत्महत्या के किसान के परिवारों की विशेष देखभाल रखा जाएगा ।	
12.	**कर सुधार**	**1. न्यूनतम आयकर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये (दस लाख) तक बढ़ाया जाएगा।** **2. 10 से 15 लाख रुपये के बीच आय पर 5% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी। 15 से 30 लाख रुपये के बीच आय पर 10% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी। 30 से 50 लाख रुपये के बीच आय पर 15% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी। 50 से 100 लाख रुपये के बीच आय पर 20% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी। 100 से 150 लाख रुपये के बीच आय पर 25% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी और 150 लाख रुपये के ऊपर आय पर 3% की एक फ्लैट दर लगाई जाएगी।** **3. शहरी और ग्रामीण संपदा के स्थानांतरण के लिए संपत्ति का शुल्क 15 करोड़ रूपए से -2.5%; 15 करोड़ रूपए से 30 करोड़ रूपए के लिए 5%; 30 करोड़ रूपए से 50 करोड़ रूपए के लिए 7.5%; 50 करोड़ रूपए से 100 करोड़ रूपए के लिए 10% और 100 करोड़ रूपए के ऊपर 15% संपत्ति का शुल्क देना होगा ।** **4. जनमत - शहरों के आसपास वाले खेतों पर कर लगाना ।**	

13.	**कानूनी सुधार**	**1. भोजन, चिकित्सा, कीटनाशक, उप मानक उपकरण के अपमान, कम से कम 10 साल की कारावास और संपत्ति के जब्त को ले जाएगा।** **2. आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें हो ।** **3. सुप्रीम कोर्ट के पास चार शाखाएं होंगी जो विकेंद्रीकरण और कार्य करने के समयबद्ध निर्णय लेने में सक्षम होंगी । उत्तर -पूर्व- पश्चिम -दक्षिण। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक मामलों का क्षेत्रीय केंद्रों पर निर्णय लिया जाएगा। केवल संवैधानिक मामलों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पेश किया जाएगा।** **4. प्रशासन, आयकर, और बिजली के अधिकरण का निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।** **5. किसानों / भूमि मालिकों और किरायेदार के बीच उदारीकृत अनुबंध कृषि समझौते- कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा ।** **6. पति के संपत्ति में महिला का नाम दर्ज किया जाएगा। इसमें उतरा संपत्ति, घर, पेंशन, बीमा, शेयर और अन्य शामिल हैं।** **7. ग्राम पंचायत के माध्यम से न्याय / विकेंद्रीकृत कानून होगा ।** **8. जनमत: - एक समय पर आर्थिक मानदंड पर आधारित आरक्षण होगा ।**	

14.	**प्रशासनिक सुधार**	**1. नागरिक द्वारा आवेदन के लिए सरकार द्वारा 30 दिन (4 सप्ताह) के भीतर उत्तर दिया जाएगा। सरकार द्वारा जवाब देने में विफलता को स्वीकृत के रूप में माना जाएगा ।(उदाहरण: किसान का पेड़ों को काटने के लिए अनुमति पाने के लिए आवेदन करना) ।** **2. रूस्तम आयोग और वेतन आयोगों द्वारा सुझाए गए अनुसार प्रशासनिक सुधार।** **3. उच्च न्यायालय के जज, सचिव, भारत सरकार, बैंक के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद के वेतन से रोकना होगा।** **4. जनमत: - लोगों के लिए सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षा पाने के लिए विकल्प: - परिवार के लिए नकद अंतरण।** **5. जनमत - समापन – भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम ।** **6. उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की सभी सब्सिडी को आधार कार्ड के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।** **7. सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च को सीमित करना।** **8. सभी भारतीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन गारंटी प्रदान करना।** **9. जनमत - सरकारी कर्मचारियों के लिए धार्मिक छुट्टियों को सीमित करना - केवल 5 दिन की धार्मिक अवकाश का उपयोग करने की सराहना करना।** **10. जनमत - राष्ट्रीय नेताओं की वर्षगांठ और स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर 10 घंटे काम करना।**	

15.	चुनावी सुधार	1. 80% सत्रों में शामिल नहीं होने वाले सांसदों को स्वचालित रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा 2. वापस बुलाने का अधिकार 25% मतदाताओं को हस्ताक्षर के लिये वापस बुलाने का अधिकार होगा 3. दक्षिण में शीतकालीन संसद सत्र - (नवंबर / दिसंबर) 4. जनमत : - दलों द्वारा प्राप्त वोटों के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व 5. चुनाव आयोग को मुख्य संसद के फैसले पर जनमत संग्रह की पकड़ होना	
16.	सुझाए गए - स्थान दिनांक- परामर्श दिन -1- प्रतिनिधि सत्र दिन -2- संकल्प दिन -3-राज्य स्तर समन्वय समिति गठन	बेंगलुरु: - कर्नाटक - तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश- तेलंगाना-केरल (दिनांक; 20/21 जून 2017) पुणे- महाराष्ट्र- गुजरात- मध्य प्रदेश-गोवा (दिनांक: 20/21जुलाई, 2017) जयपुर-राजस्थान-पंजाब-हरियाणा-जम्मू-कश्मीर-हिमाचलप्रदेश (दिनांक 20/21अगस्त 2017) पटना-बिहार-झारखंड-छत्तीसगढ़ (दिनांक 20/21 सितंबर 2017) लखनऊ - उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड - (दिनांक 20/21अक्टूबर 2017) कलकत्ता - पश्चिम बंगाल-ओडिशा-असम-एन.ई. राज्यों- भूटान (दिनांक: 20/21 नवंबर 2017) नई दिल्ली राष्ट्रीय समन्वयन सम्मेलन (दिनांक: 1/2 दिसम्बर 2017)	
17.	सभी राष्ट्रीय नेता का सम्मेलनों में भाग लेना	अन्य कार्य ; - 1. क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद 2. समन्वय के लिए पूर्णकालिक कार्यालय और कर्मचारी 3. सलाह और प्रस्तावों के संकलन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समिति	